

उत्तर प्रदेश भू-दान यज्ञ अधिनियम, 1952¹

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 10, 1953 ई०]

उ०प्र० अधिनियम सं. 10, 1975

उ०प्र० अधिनियम सं. 8, 1977

उ०प्र० अधिनियम सं. 23, 1979

द्वारा संशोधित

(उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 24 दिसम्बर, 1952 ई. तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद ने दिनांक 5 जनवरी, 1953 ई. की बैठक में स्वीकृत किया)

(भारत संविधान के अनुच्छेद 201 के अन्तर्गत राष्ट्रपति ने दिनांक 27 फरवरी, 1953 ई० को स्वीकृति प्रदान की और उत्तर प्रदेश सरकारी असाधारण गजट में दिनांक 5, मार्च, 1953 ई० को प्रकाशित हुआ।)

श्री आचार्य विनोबा भावे द्वारा आरब्ध भू-दान यज्ञ के संबंध में भूमि के दान तथा उसके बन्दोबस्त को सुकर बनाने के लिये

अधिनियम

यह आवश्यक है कि श्री विनोबा भावे द्वारा आरब्ध भू-दान यज्ञ के संबंध में भूमि के दान को सुकर बनाया जाय और ऐसी भूमि का बन्दोबस्त भूमिहीन व्यक्तियों के साथ किया जाय:

अतएव निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है—

1—(1) इस अधिनियम का नाम “उत्तर प्रदेश—भू-दान यज्ञ अधिनियम, 1952” होगा¹

(2) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा।

(3) यह तुरन्त प्रचलित होगा।³

2—विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर इस अधिनियम में—

(क) “भूदान यज्ञ” का तात्पर्य उस आन्दोलन से है जो भूमिहीन व्यक्तियों में वितरण के उद्देश्य से स्वेच्छापूर्वक दान द्वारा भूमि हस्तगत करने के निमित्त श्री आचार्य विनोबा भावे द्वारा आरब्ध किया गया है;

(ख) “खाता” का अर्थ वही है, जो “holding” का अर्थ यू० पी० टेनेंसी ऐक्ट, 1939 में दिया गया है;

(ग) “स्वामी” (owner) का तात्पर्य किसी भूमि के सम्बन्ध में—

(1) उन क्षेत्रों में जहां मध्यवर्तियों के अधिकार (right) 1950 ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम की धारा 4 के अधीन राज्य सरकार में निहित हो गये हों, यथास्थिति, उसके [भूमिधर या सरकारी पट्टेदार से है]²

(2) उन क्षेत्रों में जहां यूनाईटेड प्राविन्सेज टेनेंसी ऐक्ट, 1939 समय विशेष पर प्रचलित हो, उसके जमींदार (land lord) से है तथा इसके अन्तर्गत माफीदार (rent free grantee) काश्तकार, रियायतें लगान (grantee at a favourable rate of rent) बागदार (grove holder) और अधिनियम की धारा 21 के खंड (a) से (f) तक में उल्लिखित काश्तकार (tenant) भी है;

संक्षिप्त नाम, प्रसार
और प्रारम्भ

परिभाषाएँ

1. उद्देश्य और कारणों के विवरण के लिये दिनांक 21 नवम्बर, 1952 का सरकारी असाधारण गजट देखिये।

2. उ. प्र. अधिनियम संख्या 8, 1977 की धारा 71 द्वारा प्रतिस्थापित।

3. उ. प्र. अधिनियम संख्या 52, 1976 की धारा 3 के द्वारा अन्तर्गत राज्य क्षेत्रों हेतु निरसित।

(3) अन्य क्षेत्रों में, उसके स्वामियों (proprietors) से है और इसके अन्तर्गत ऐसा कास्तकार भी है जिसका भूमि पर दान योग्य तथा हस्तांतरणीय स्वत्व (heritable and transferable interest) हो;

(घ) "नियत¹" (prescribed) का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बने नियमों द्वारा नियत से है ;

(ङ) "राज्य सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार से है; और

(च) इन अधिनियमों में जिन शब्दों तथा पदों (words and expressions) की परिभाषा न दी गयी हो, उनका तात्पर्य—

(1) उन क्षेत्रों में जिसका अभिदेश खण्ड (ग) के उपखण्ड (1) में किया गया है, 1950 के उत्तर प्रदेश जमींदार विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम में उनको दिये गये अर्थ से होगा;

(2) उन क्षेत्रों में जिनका अभिदेश उक्त खण्ड के उपखण्ड (2) में किया गया है, यूनाईटेड प्राविन्सेज टेनेसी ऐक्ट, 1939 ई. में उनको दिये गये अर्थ से होगा;

(3) अन्य क्षेत्रों में, भूमि पर प्रवृत्त होने वाले भौमिक अधिकार (land tenure) से सम्बन्धित विधि में उनको दिये गये अर्थ से होगा।

3—उत्तर प्रदेश के लिये एक भू-दान यज्ञ समिति [जिसे यहां पर आगे चल कर "समिति" (Committee) कहा गया है] की स्थापना की जायेगी, जिससे सतत अनुक्रम (perpetual succession) प्राप्त होगा, और जो एक निगमित संस्था (body corporate) होगी और उसे यह सामर्थ्य प्राप्त होगा कि अपने नैगम नाम (Corporate name) से दूसरे पर वाद प्रस्तुत कर सके और दूसरा उस नाम पर उसके विरुद्ध वाद प्रस्तुत कर सके, वह चल और अचल सम्पत्ति को उपार्जित कर सके, रख सके उसका प्रशासन और हस्तांतरण कर सके तथा संविदा भी कर सके।

भू-दान यज्ञ समिति की स्थापना और उसका निगमीकरण

4—(1) समिति के निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्—

(क) [राज्य सरकार]¹ द्वारा नामांकित सभापति (चेयरमैन)।

(ख) चार सदस्य या उससे अधिक किन्तु नौ से अधिक नहीं जिन्हें [राज्य सरकार नामांकित करेगी]

(2) [*** **]²

(3) सभापति (चेयरमैन) तथा सदस्यों का नामांकन [* * *]³ नियत रीति के अनुसार गजट में विज्ञापित [किया जायगा]³

(4) समिति के सभापति और सदस्य उपधारा (3) के अधीन विज्ञप्ति के दिनांक चार वर्ष के लिये अपने पद पर कार्य करेंगे और वे पुनर्नियुक्त या पुनर्नामांकन के, यथास्थिति, योग्य होंगे।

समिति (Committee) का संगठन

5—(1) यदि किसी भी समय राज्य सरकार को यह सन्तोष हो जाये कि—

(क) समिति ने इस अधिनियम के अधीन या द्वारा लगाये गये कर्तव्यों का पालन या दिये गये कार्यों का सम्पादन किसी उपयुक्त कारण या अपदेश (without reasonable cause or excuse) बिना नहीं किया है,

(ख) ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई है कि इस अधिनियम के अधीन या द्वारा लगाये गये कर्तव्यों का पालन या दिये गये कार्यों का सम्पादन करने में समिति असमर्थ हो गयी है या हो सकती है, या

समिति को भंग किया जाना।

1. उ. प्र. अधिनियम सं. 23, 1979 की धारा 2 (क) द्वारा प्रतिस्थापित।

2. उपर्युक्त की धारा 2 (ख) द्वारा निकाला गया।

3. उपर्युक्त की धारा 2 (ग) द्वारा निकाला तथा प्रतिस्थापित किया गया।

(ग) अन्य कारणों से समिति का भंग करना उपयुक्त या आवश्यक हो, तो वह सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके—

(1) समिति को, ऐसी अवधि के लिये जो निर्दिष्ट की जाय, भंग कर सकती है;

(2) यह निर्देश कर सकती है कि इस अधिनियम की धारा 4 के उपबन्धों के अनुसार समिति को पुनः संगठित किया जाय; और

(3) यह प्रख्यापित कर सकती है कि इस अधिनियम के अधीन, उस अवधि के लिये जिसके लिये समिति भंग की गई हो, समिति के कर्तव्यों, अधिकारों और कार्यों का पालन, प्रयोग और सम्पादन ऐसे व्यक्ति या प्राधिकारी द्वारा (authority) और ऐसे प्रतिबन्ध (restrictions) के साथ जो नियत किये जाये, किया जायेगा।

(2) राज्य सरकार ऐसे आनुषंगिक और परिणामिक उपबन्ध (provisions) कर सकती है जो इस प्रयोजन के लिये आवश्यक प्रतीत हों।

6—समिति में होने वाली आकस्मिक रिकित्तियों को भरने का ढंग, उसके कार्य करने की प्रक्रिया (procedure) तथा उसके कार्यों का प्रचालन, वही होगा जो नियत किया जाय।

आकस्मिक रिकित्तियां तथा समिति के संबंध में अन्य विषय।

7—(1) समिति का यह कर्तव्य होगा कि वह अपने में निहित सभी भूमियों का प्रबन्ध भू-दान यज्ञ के हित में करे।

समिति के कर्तव्य

(2) समिति भू-दान यज्ञ के प्रयोजनों के लिए ऐसे अन्य कार्य करेगी तथा उसे ऐसी अन्य शक्तियां प्राप्त होगी जो ऐसी भूमि के संबंध में आवश्यक हों।

8—(1) समय विशेष पर प्रचलित किसी विधि में किसी बात के होते हुये भी कोई व्यक्ति, जो भूमि का स्वामी हो, इस निमित्त नियत रीति से लिखित प्रख्यापन द्वारा (जिसे यहां आगे चलकर भू-दान प्रख्यापन कहा जायगा) ऐसी भूमि का दान और अनुदान (donate and grant) कर सकता है।

भू-दान यज्ञ के लिये भूमि का दान

(2) भू-दान प्रख्यापन किये जाने के पश्चात् यथाशीघ्र तहसीलदार के यहां प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

9—भू-दान प्रख्यापन प्राप्त होने पर, तहसीलदार—

(क) उसे उज्रदारियों के लिये प्रकाशित करेगा और

[(कक) उसका नोटिस सम्बद्ध गांव सभा को देगा]¹

(ख) ऐसी भूमि में दाता के अधिकार, आगम और स्वत्व की सरसरी तौर से जांच करेगा।

प्रख्यापन का प्रकाशन तथा उसके संबंध में जांच

10—1950 ई0 को उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, यूनाइटेड प्राविन्सेज टेनेन्सी ऐक्ट, 1939 या भौमिक अधिकार से सम्बद्ध किसी अन्य विधि में, जो लागू होती हो, किसी बात के होते हुये भी, कोई स्वामी भू-दान यज्ञ में ऐसी भूमि को, जो उसके पास उक्त रूप में हो, दान करने के निमित्त इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये समर्थ होगा।

भू-दान के लिये समर्थदाता

11—(1) कोई भी व्यक्ति, जिसके स्वत्वों पर धारा 8 के अधीन किये गये भू-दान प्रख्यापन का प्रभाव पड़ता हो, उक्त प्रख्यापन के प्रकाशन के दिनांक से 30 दिन के भीतर उसके सम्बन्ध में तहसीलदार के समक्ष उज्रदारी कर सकता है।

उज्रदारियों का प्रस्तुत किया जाना उनकी सुनवाई और उनका निस्तारण

1. उ0 प्र0 अधि0 संख्या 10, 1975 की धारा 2 द्वारा बढ़ाया गया।

(2) तहसीलदार ऐसी प्रत्येक उज्रदारी को रजिस्टर में दर्ज करेगा और उसकी सुनवाई के लिये दिनांक निश्चित करेगा जिसकी सूचना प्रख्यापन करने वाले व्यक्ति, उज्रदारी करने वाले व्यक्ति, तथा [सम्बद्ध गांव सभा]¹ को दी जायेगी

(3) सुनवाई के दिनांक पर या किसी ऐसे अन्य दिनांक पर, जिसके लिये सुनवाई स्थगित की जाये, तहसीलदार उज्रदारों की जांच पड़ताल और निस्तारण की कार्यवाही आरम्भ कर देगा और धारा 12 के उपबंधों को बाधित न करते हुये—

(क) या तो भू-दान प्रख्यापन को पुष्ट (confirm) करेगा, अथवा

(ख) उसे अधिक्रान्त (Supersede) कर देगा।

(4) यदि तहसीलदार भू-दान प्रख्यापन को भी पुष्ट कर देता है, तो समय विशेष पर प्रचलित किसी विधि में किसी बात के होते हुये भी, स्वामी (owner) के ऐसी भूमि में सभी अधिकार, आगम और स्वत्व भू-दान यज्ञ के प्रयोजनों के निमित्त भूदान समिति को हस्तान्तरित तथा उसमें निहित हो जायेगी :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि भूदान प्रख्यापन की पुष्टि के दिनांक के ठीक बाद की जुलाई के पहले दिवस आरम्भ होने वाली तीन वर्ष की अवधि तक ऐसी भूमि के सम्बन्ध में कोई मालगुजारी देय नहीं होगी यदि वह दान के दिनांक पर परती कदीम अथवा बंजर हो।

(5) यदि उपधारा (3) के अन्तर्गत तहसीलदार भू-दान प्रख्यापन को अधिक्रान्त कर दे तो उक्त दान निरस्त हो जायगा और ऐसी भूमि में स्वामी के सभी अधिकार, स्वात्व और आगम उसी प्रकार प्रचलित रहेंगे मानो कि ऐसा कोई दान किया ही न गया हो।

[6] "इस धारा के अधीन तहसीलदार के किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति आदेश के दिनांक से तीस दिन के भीतर उसके विरुद्ध कलेक्टर को अपील कर सकेगा, और ऐसी अपील पर कलेक्टर का विनिश्चय अन्तिम होगा।

(7) इस धारा के अधीन भूदान प्रख्यापन को पुष्ट अथवा अधिक्रान्त करने के अधिकार के अंतर्गत उसे पूर्णतः या अंशतः पुष्ट या अधिक्रान्त का भी अधिकार होगा।"²

12—किसी विधि में किसी बात के होते हुये भी स्वामी इस अधिनियम के प्रयोजनों के निमित्त किसी ऐसी भूमि का दान नहीं कर सकता है जो निम्नलिखित वर्गों में से किसी के भी अन्तर्गत हो,

भूमि जिनका दान नहीं दिया जा सकता

(क) ऐसी भूमि जो दान के दिनांक पर अभिलिखित या आचारिक सार्वजनिक पशुचर भूमि, शमशान, अथवा कब्रिस्तान, तालाब, रास्ता अथवा खलिहान हो,

(ख) ऐसी भूमि जिसमें स्वामी के स्वत्व जीवल काल तक सीमित हो;

(ग) अन्य ऐसी भूमि जिसे राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा निर्दिष्ट करे।

13—(1) यदि इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व कोई भूमि भू-दान यज्ञ में दान दी गई हो तो कलेक्टर उन भूमियों को छोड़कर जिन पर धारा 12 के उपबंध लागू होते हों, ऐसी सभी भूमियों की सूची तैयार करेगा और उसमें निम्नलिखित प्रदर्शित होंगे—

इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व दान दी हुई भूमि

(क) भूमि का क्षेत्रफल तथा अन्य ब्योरे ;

(ख) दाता का नाम तथा पता ;

1. उ. प्र. अधि. संख्या 10, 1975 की धारा 3 (1) द्वारा प्रतिस्थापित।

2. उपर्युक्त की धारा 3 (2) द्वारा अन्तर्विष्ट।

(ग) दान का दिनांक ;

(घ) ऐसी भूमि में दाता के स्वत्व का प्रकार;

(ङ) यदि ऐसी भूमि भू-दान यज्ञ के अनुसार किसी व्यक्ति को अनुदान की जा चुकी हो तो उस व्यक्ति का नाम और पता जिसे भूमि अनुदान की गई हो (जिसे आगे चलकर अनुदान ग्रहीता (grantee) कहा गया है ;

(च) उपखण्ड (ङ) के अन्तर्गत अनुदान (grant) का दिनांक ; और

(छ) ऐसे अन्य ब्योरे जो नियत किये जाये।

(2) इस प्रकार तैयार की गयी सूची नियत रीति से प्रकाशित की जायेगी।

(3) उपधारा (2) के अन्तर्गत सूची प्रकाशित होने पर किसी विधि में किसी विपरीत बात के होते हुये भी—

(क) दाता के ऐसी भूमि में अधिकार, में आगम तथा स्वत्व, दान के दिनांक से भू-दान यज्ञ समिति का हस्तन्तिरित तथा उसमें निहित समझे जायेंगे मानो कि धारा 8 तथा धारा 11 की उपधारा (3) के अनुसार भू-दान यज्ञ प्रख्यापन विधिवत किया गया था तथा उस सम्बन्ध में पुष्ट हुआ था।

(ख) यदि ऐसी भूमि का भू-दान यज्ञ के अनुसार किसी व्यक्ति को अनुदान कर दिया गया हो, तो उक्त भूमि अनुदान के दिनांक से धारा 14 के उपबन्धों के अधीन तथा अनुसार अनुदान ग्रहीता के अनुदान की गयी भी समझी जायगी।

14—[(1)]¹ समिति अथवा अन्य कोई प्राधिकारी अथवा व्यक्ति जिसे समिति राज्य सरकार को स्वीकृति से सामान्यतः अथवा क्षेत्र विशेष के संबंध में निर्दिष्ट करे, समिति में निहित भूमि [भूमिहीन कृषि श्रमिकों]² को नियत विधि से अनुदान कर सकते हैं, और भूमि का अनुदान ग्रहीता—

भूमिहीन व्यक्ति को
भूमि का प्रदान

(1) यदि भूमि किसी ऐसे आस्थान में स्थित हो जो 1950 ई0 के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत और अनुसार राज्य सरकार में निहित हो गयी हो, तो ऐसी भूमि में [असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर]³ के अधिकार तथा दायित्व उपाजित करेगा, और

(2) यदि भूमि किसी अन्य क्षेत्र में स्थित हो तो ऐसे अधिकार और दायित्व एवं ऐसे प्रतिबंधों, निरोधों और सीमाओं (such conditions and limitations) के अधीन जो नियत किये जायें, उपाजित करेगा, तथा अन्य किसी विधि में किसी विपरीत बात के होते हुये भी ये सप्रभाव होंगे।

[(2) जहां उपर्युक्त समिति या अन्य प्राधिकारों या व्यक्ति समिति में ऐसी भूमि के निहित होने के दिनांक से या उत्तर प्रदेश भू-दान यज्ञ (संशोधन) अधिनियम, 1975 के प्रारम्भ होने के दिनांक से जो भी पश्चातवर्ती हो, तीन वर्ष की अवधि के भीतर उपधारा (1) के अनुसार भूमिका अनुदान करने में असफल रहता है तो कलेक्टर स्वयं ऐसी भूमि का अनुदान भूमिहीन कृषि श्रमिकों को नियत रीति से कर सकता है, और तदुपरान्त अनुदान ग्रहीता उपधारा (1) में उल्लिखित अधिकारी तथा दायित्वों का उसी प्रकार उपाजित करेगा मानों अनुदान स्वयं समिति द्वारा दिया गया हो।

(3) [X X X]⁴

(4) इस धारा के अधीन भूमि का अनुदान करने में, यथास्थिति, उपर्युक्त समिति या अन्य प्राधिकारी या अन्य व्यक्ति या कलेक्टर निम्नलिखित सिद्धांतों का अनुपालन करेगा।

1. उ0 प्र0 अधि0 सं0 10, 1975 की धारा 4 द्वारा पुनः संख्यांकित।

2. उपर्युक्त की धारा 4 (क) द्वारा प्रतिस्थापित।

3. उ0 प्र0 अधि0 सं0 8, 1977 की धारा 72 द्वारा अंतर्विष्ट।

4. उ0 प्र0 अधि0 सं0 8, 1977 की धारा 72 (ख) द्वारा निकाला गया।

(क) अनुदान के लिये उपलब्ध भूमि का कम से कम 50 प्रतिशत उन व्यक्ति को जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों के हों और उन व्यक्तियों को जो कोल, पठारी, खैरवार, बैगा, धारिकार, पनिका और गौण जन जातियों तथा ऐसी अन्य जन-जातियों के हों जिन्हें राज्य सरकार समिति को सिफारिश पर तदर्थ विज्ञापित करे, अनुदत्त किया जायेगा।

(ख) किसी गांव में स्थिति भूमि का अनुदान, यथासम्भव, उसी गांव में निवास करने वाले व्यक्तियों को दिया जायगा।

स्पष्टीकरण:

इस धारा के प्रयोजनार्थ, पद 'भूमिहीन कृषि' श्रमिक' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसकी जीविका का मुख्य साधन कृषि-श्रम या खेती हो और जिसके पास सुसंगति समय पर या तो कोई भूमि न हो या उत्तर प्रदेश में भूमिधर, [* * *]¹ असामी या सरकारी पट्टेदार के रूप में 0.40468564 हेक्टर (एक एकड़) से अनधिक भूमि हो।²

15-सभी अनुदान जहां तक सम्भव होगा भू-दान यज्ञ योजना के अनुसार ही किये जायेंगे।

भूदान यज्ञ योजना के अनुसार ही प्रदान (ग्रान्ट) दिये जायेंगे

[**15-क(1)** कलेक्टर, उ० प्र० भूदान यज्ञ (संशोधन) अधिनियम, 1975 के प्रारम्भ होने के पूर्व या पश्चात् धारा 14 के अधीन अनुदत्त की गई किसी भूमि के सम्बन्ध में स्वप्रेरणा से जांच कर सकेगा और समिति के संस्तुति पर या ऐसे अनुदान से व्यथित किसी व्यक्ति के आवेदन पर जांच करेगा और यदि उसका समाधान हो जाये कि अनुदान अनियमित या ऐसा अनुदान उसके ग्रहीता द्वारा दुर्व्यपदेशन या कपट से प्राप्त किया गया था, तो वह—

(i) अनुदान रद्द कर सकेगा, और इस प्रकार रद्द किये जाने पर धारा 14 में तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुये भी, ऐसी भूमि में अनुदान ग्रहीता या उसके माध्यम से दावा करने वाले किसी व्यक्ति के अधिकार, आगम और स्वत्व समाप्त हो जायेंगे और भूमि समिति की प्रतिवर्तित हो जायेगी, और

(ii) ऐसी भूमि पर कब्जा करने वाले या कब्जा रखे रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को बेदखल करने के पश्चात् भूमि का कब्जा समिति को परिदत्त करने का निदेश दे सकेगा और प्रयोजनार्थ ऐसे बल का प्रयोग कर सकेगा या कर सकेगा जो आवश्यक हो।

(2) उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक कार्यवाही को नोटिस समिति को दी जायेगी, और उसके सम्बन्ध में समिति द्वारा किये गये प्रत्येक अभ्यावेदन पर कलेक्टर द्वारा विचार किया जायगा।

(3) अनुदान ग्रहीता या ऐसे अन्य व्यक्ति को जिसके सम्बन्ध में कलेक्टर को यह ज्ञात हो कि यह उसके अन्तर्गत दावेदार है, सुनवाई का अवसर दिये बिना उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश पारित नहीं किया जायेगा।

(4) उपधारा (1) के अधीन पारित कलेक्टर का आदेश अन्तिम और निश्चायक होगा।³

16-धारा 8 के अधीन किया गया या किया हुआ समझा गया भूदान प्रख्यान अथवा धारा 14 के अधीन किया गया या किया हुआ समझा गया भूमि का अनुदान किसी विधि में किसी विपरीत बात के होते हुए भी रजिस्ट्री और लेख्यों के निष्पादन से सम्बद्ध विधि के अन्तर्गत स्टाम्प ड्यूटी की अदायगी और रजिस्ट्री अथवा साक्षीकरण (एटेस्टेशन) से मुक्त रहेगा। और सर्वदा मुक्त समझा जायगा।

रजिस्ट्री तथा स्टाम्प ड्यूटी से मुक्ति

1. उ० प्र० अधि० सं० 8, 1977 की धारा 72 द्वारा निकाला गया।
2. उ० प्र० अधि० सं० 10, 1975 की धारा 4 (ख) द्वारा अंतर्विष्ट।
3. उ० प्र० अधि० सं० 10, 1975 की धारा 5 द्वारा बढ़ाई गई।

17-(1) इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिये राज्य सरकार नियम बनाने का अधिकार
नियम बना सकती है।

(2) पूर्वोक्त अधिकारों की व्यापकता को बाधित न करते हुये, ऐसे नियमों में निम्नलिखित के लिये व्यवस्था की जा सकेगी—

(क) समिति की स्थापना, संगठन तथा इसके सभापति [और सदस्यों के नामांकन]¹ से सम्बद्ध विषय;

(ख) भूदान प्रख्यापन का आकार-पत्र तथा रीति जिसमें वह प्रस्तुत किया जायगा;

(ग) भूदान प्रख्यापन के साथ नत्थी किये जाने वाले लेख्य;

(घ) भूदान प्रख्यापन के प्रकाशन की रीति;

(ङ) धारा 9 के अधीन जांच का प्रकार, क्षेत्र तथा रीति;

(च) उज्रदारियां प्रस्तुत करने तथा इनके दर्ज करने की रीति;

(छ) उज्रदारियों की सुनवाई के लिये दिनांक का निश्चित किया जाना;

(ज) इस अधिनियम के अन्तर्गत नोटिसों की तामील की रीति और ढंग;

(झ) धारा 11 के अन्तर्गत उज्रदारियों की सुनवाई तथा निस्तारण में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया;

(ञ) प्रख्यापन के पुष्टीकरण अथवा अधिकान्त करने से सम्बद्ध प्रक्रिया ;

(ट) धारा 14 के अनुसार भूमि अनुदान से सम्बद्ध विषय ; और

(ठ) वे विषय जो नियत किये जाने वाले हों और नियत किये जायें।

1. उ० प्र० अधिनियम संख्या 23, 1979 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।